भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

Azadi ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.12(3)नविवि/सवाईमाधोपुर/2022 **जयपुर, दिनांकः** 21/06/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् (1959) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर की सीमा में अभीष्ठ नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम कुतलपुरा जाटान के खसरा नम्बर 47, 127, 128 व 134 पर **'आवासीय योजना'** के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय लिया गया है। इस योजना की सीमाएं निम्नानुसार हैं :–

उत्तर – अन्य भूमि ख0 नं0 46, 46/352 ग्राम कुतलपुरा।

दक्षिण – भूमि ख0नं0 135, 136, 137, 138, 141/332 ग्राम कुतलपुरा।

पूर्व – नाले के उपरान्त, ख0 नं0 154 ग्राम कुतलपुरा।

पश्चिम – भूमि ख0 नं0 132, 139, 126/311, 48, 49 व 50 ग्राम कुतलपुरा।

उपरोक्त योजना का कुल क्षेत्रफल 23300 वर्गमीटर है। इस योजना में क्षेत्रफल का विवरण तथा नक्शा कार्यालय नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

21/6/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
4. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय